



2026: AHC: 33951-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - **29828/2025**

सुरेंद्र कुमार और अन्य याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: बख्तियार यूसुफ, संतोष कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता: जी.ए. (सरकारी अधिवक्ता), सत्य निष्ठ द्विवेदी

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. (अपर शासकीय अधिवक्ता) को सुना गया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान रिट याचिका में थाना- फूलपुर, जिला- प्रयागराज में बी.एन.एस. (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 305(ए), 331(4), 352, 351(3) के तहत पंजीकृत केस क्राइम संख्या 525/2025 से उत्पन्न दिनांक 9.12.2025 की प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई है।
3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता पूर्णतः निर्दोष हैं और उन्हें दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के कारण वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) में लगाए गए आरोपों से, प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कोई कथित अपराध प्रकट नहीं होता है।
5. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने उक्त प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के अनुसार, यह आरोप है कि 12.7.2025 को रात्रि के अंधेरे में लगभग 2.00 बजे, याचिकाकर्ता संख्या 1- सुरेंद्र कुमार प्रतिवादी संख्या 4 के घर में घुसा और ताला तोड़कर सोने/चांदी के आभूषण चोरी कर लिए तथा उक्त बक्से से 25,000/- रुपये नकद निकाल लिए। शोर सुनकर पीड़िता जाग गई और चोर को पहचान लिया तथा शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता संख्या 1 पीड़िता को जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जो घटना स्थल पर पहुंची और आवश्यक पूछताछ के बाद वापस चली गई। तत्पश्चात, याचिकाकर्ता- सुरेंद्र कुमार और इंद्र बहादुर, लाठी-डंडों से लैस होकर, पीड़िता के घर में जबरन घुस गए और फिर से गाली-गलौज करने लगे तथा उन्हें जान से मारने की धमकी दी।
6. विद्वान ए.जी.ए. ने आगे प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के अवलोकन से, याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कथित अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है और इस प्रकार, उच्चतम न्यायालय द्वारा 'स्टेट ऑफ तेलंगाना बनाम हबीब अब्दुल्ला जिलानी' (2017) 2 SCC 779, 'नीहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य' (2021) SCC Online SC 315, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय आपराधिक अपील संख्या 843/2024 'प्रवर्तन निदेशालय बनाम नीरज त्यागी और अन्य' में प्रतिपादित कानून के आलोक में प्राथमिकी को रद्द नहीं किया जा सकता है।
7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई परस्पर दलीलों पर विचार करने के बाद और प्राथमिकी (FIR) में लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि 12.7.2025 को रात के अंधेरे में लगभग 2.00 बजे, याचिकाकर्ता संख्या 1- सुरेंद्र कुमार प्रतिवादी संख्या 4 के घर में घुसा और ताला तोड़कर सोने/चांदी के आभूषण चोरी कर लिए तथा उक्त बक्से से 25,000/- रुपये नकद निकाल लिए। शोर सुनकर पीड़िता जाग गई और उसने चोर को पहचान लिया तथा शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता संख्या 1

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



पीड़िता को जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। घटना के संबंध में सूचना पुलिस को भेजी गई, जो घटना स्थल पर पहुंची और आवश्यक पूछताछ करने के बाद पुलिस वापस चली गई। इसके पश्चात, याचिकाकर्ता- सुरेंद्र कुमार और इंद्र बहादुर, लाठी-डंडों से लैस होकर, पीड़िता के घर में जबरन घुस गए और गाली-गलौज करने के बाद उन्हें जान से मारने की धमकी दी, हमारी यह राय है कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। इसके अतिरिक्त, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. द्वारा उद्धृत प्रासंगिक कानून को ध्यान में रखते हुए और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. द्वारा दी गई दलीलों को नोट करते हुए, हमारी यह राय है कि विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट को याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध रद्द नहीं किया जा सकता है। र है कि विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट को याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध रद्द नहीं किया जा सकता है।

8. अतः, विवादित प्राथमिकी को रद्द करने की प्रार्थना को खारिज किया जाता है।
9. इसके दृष्टिगत, वर्तमान रिट याचिका गुणदायक के आधार पर अपर्याप्त है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

फरवरी 16, 2026

आर.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"